A.F.R.

निर्णय आरक्षण तिथि : 17–8–2021

निर्णय उद्घोषणा तिथि : 26–8–2021

Court No. - 85

Case :- APPLICATION U/S 482 No. - 8735 of 2021

Applicant :- Dr. Kafeel @ Dr. Kafeel Ahmad Khan
Opposite Party :- State of U.P. and Another
Counsel for Applicant :- Rajrshi Gupta,Dileep Kumar(Senior Adv.),Manish Singh,Nazrul Islam Jafri(Senior Adv.)
Counsel for Opposite Party :- G.A.

Hon'ble Gautam Chowdhary,J.

1– आवेदक की ओर से धारा 482 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत यह आवेदन पत्र, मु0अ0सं0–700 सन् 2019, अन्तर्गत धारा 153–ए, 153–बी, 505 (2), 109 भा0दं0वि0, थाना सिविल लाइन्स, जिला अलीगढ़ में प्रेषित आरोप पत्र सं0 055 सन 2020, दिनांकित 16–3–2020 से उद्भूत वाद सं0 3250 सन 2020, स्टेट वर्सेस डा0 कफील, जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ के न्यायालय में लम्बित है तथा इसमें पारित प्रसंज्ञान आदेश दि0 28–7–2020 के विरूद्ध दायर किया गया है।

2– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री मनीष सिंह, साम्भवी शुक्ला एवं उनके वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दिलीप कुमार तथा विपक्षी सं0 1 की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री पतंजलि मिश्र एवं विद्वान अपर महाधिवक्ता श्री मनीष गोयल को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

3– वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0 प्र0, लखनउ द्वारा थाना कोतवाली हजरतगंज, जिला लखनउ में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट, बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज के विभिन्न वार्डो में बीमार लोगों को जीवन रक्षक लिक्विड आक्सीजन की गैस सप्लाई बाधित होने के संबंध में पंजीकृत करायी गयी, जिसमें बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज के अनेक अधिकारियों/कर्मचारियों की लापरवाही को अंकित किया गया तथा उक्त प्राथमिकी में डा0 कफील के बारे में कथन किया गया कि – **"डा0 कफील खान, प्रभारी नोडल 100 बेड एईएस वार्ड द्वारा जीवन रक्षक आक्सीजन की कमी, जिससे बच्चों की मृत्यु संभाव्य है, के सम्बन्ध में वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में नहीं लाया गया तथा उनके द्वारा सरकारी ड्यूटी को नजरअंदाज करते हुए उ0 प्र0 मेडिकल काउन्सिल में पंजीकृत न होने के बावजूद भी अपनी पत्नी शविस्ता खान द्वारा संचालित नर्सिग होम में अनुचित लाभ हेतु धोखा देने के इरादे से अपने नाम का बोर्ड लगाकर प्रैक्टिस किया जा रहा है। डा0 कफील खान द्वारा प्रभावी नोडल 100 बेड एईएस वार्ड होते हुये भी मरीजों के उचित इलाज हेतु अपेक्षित सावधानी नहीं बरती गयी साथ ही अपेक्षित प्रयास उनके जीवन संकट को बचाने के लिए नहीं किये गये तथा सरकारी डाक्टर होते हुये भी**

अपनी पत्नी के नर्सिंग होम में अनुचित लाभ प्राप्त करने तथा अपनी पत्नी को प्राप्त कराने हेतु कार्य किया गया तथा डा0 कफील खान उपरोक्त द्वारा संचार एवं डिजिटल माध्यम से धोखा देने के इरादे से गलत तथ्यों को संचार माध्यम से प्रसारित किया गया।" प्राथमिकी में आगे कहा गया है कि बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किया गया कार्य/अपराधिक अपचार भारतीय दण्ड संहिता की धारा सदोष मानव वध का प्रयास, अपराधिक न्यास भंग एवं छल की श्रेणी में व भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तथा इण्डियन मेडिकल काउंसिल के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

4— उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट की विवेचना विवेचक द्वारा की गयी तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में लिखाए गए आरोप सही पाते हुए विवेचक द्वारा डा0 कफील के विरूद्ध मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ के न्यायालय में आरोप पत्र सं0 055 सन 2020, दिनांकित 16—3—2020 प्रेषित किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा संज्ञान का आदेश पारित करते हुए दर्ज रजिस्टर करने एवं तलब करने संबंधित आदेश दि0 28—7—2020 पारित किया गया, जिससे क्षुब्ध होकर आवेदक की ओर से धारा 482 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत यह आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

5— आवेदक के विद्वान अधिवक्तागण का कथन है कि आवेदक बी0 आर0 डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में लेक्चरर के पद पर कार्यरत है। दि0 10/11 अगस्त, 2017 को बी0 आर0 डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में अचानक लिक्विड आक्सीजन की सप्लाई बाधित हुयी, जिसके कारण बहुत से बच्चों की मृत्यु हो गयी, उस दिन आवेदक अवकाश पर था, किन्तु एक डाक्टर होने के नाते उसने आक्सीजन सिलेन्डर की व्यवस्था अपने खर्चे पर प्राइवेट किया तथा 3—4 सौ बच्चों की जान उसने बचाई, तथा वह प्राइवेट सप्लायर्स एवं प्राइवेट हास्पिटल के संपर्क में रहा। इसके बावजूद भी उसे दि0 22—8—2017 को निलंबित कर दिया गया तथा चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0 प्र0, लखनउ द्वारा थाना कोतवाली हजरतगंज, जिला लखनउ मे उसके एवं अन्य अधिकारियों के विरूद्ध दि0 23—8—2017 को प्राथमिकी दर्ज करा दी गयी। आवेदक के विरूद्ध आक्सीजन की कमी के संबंध में कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं था। इसके बाद आवेदक को दि0 2—9—2017 को गिरफ्तार कर लिया गया, आवेदक को दि0 12—9—2017 को आरोप पत्र मिला, आवेदक कई माह कारागार में निरूद्ध रहा तथा जमानत पर मुक्त होने के बाद आवेदक विभागीय जॉच करने वाले संबंधित अधिकारी के पास लगाए गए आरोपों की जानकारी करने गया, इसके बाद आवेदक ने निलंबन आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय आया तथा माननीय उच्चतम न्यायालय भी गया एवं इस मध्य कोविड—19 का दौर भी आ गया, जिसके बाद उसने धारा 482 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत यह आवेदन पत्र प्रस्तुत किया।

6— आवेदक के विद्वान अधिवक्तागण ने तर्क प्रस्तुत किया कि धारा 196 दं0प्र0सं0 की उपधारा 1 (अ) में यह प्राविधानित है कि न्यायालय को धारा 153—अ, 153—ब, 505 (2) भा0दं0वि0 में अपराध का संज्ञान लेने के पूर्व किसी व्यक्ति के अभियोजन हेतु केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा जिलाधिकारी द्वारा पूर्व अभियोजन स्वीकृति लेना आवश्यक है, ऐसी पूर्व स्वीकृति/अनुमति के बिना सम्बन्धित अपराधों के अभियोजन हेतु संज्ञान नहीं लिया जा सकता है

तथा बिना पूर्व अभियोजन स्वीकृति के संज्ञान लेने के आदेश को अवैधानिक माना जाएगा। उनका कथन है कि धारा 196 एवं 196–ए दं0प्र0सं0 के प्राविधान आज्ञापक (बाध्यकारी) प्रकृति के हैं। प्रश्नगत वाद में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दि0 28–7–2020, जिसके द्वारा आरोप पत्र को दर्ज रजिस्टर करते हुए अपराध धारा 153–अ, 153–ब, 505 (2) एवं 109 भा0दं0वि0 के अन्तर्गत संज्ञान लिया गया एवं आवेदक को तलबी आदेश द्वारा आहूत किया गया तथा यह संज्ञान लेने एवं तलबी आदेश पारित करने के पूर्व केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा जिलाधिकारी से कोई स्वीकृति नहीं ली गयी। इस संबंध में उनकी ओर से संबंधित न्यायालय के समक्ष Application For Information (Chapter IX Rule 1F) प्रस्तुत किया गया था और उसमें प्रश्न पूछा गया था कि क्या वाद सं0 3250 सन 2020 में अभियोजन द्वारा आरोप पत्र दाखिल करने से पूर्व केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या जिलाधिकारी, अलीगढ़ से धारा 196 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत (Sanction) स्वीकृति लिया गया है, जिस पर जवाब **"NO"** दिया गया है। अतः पूर्व अभियोजन स्वीकृति के अभाव में एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ के न्यायालय में लम्बित उपरोक्त संपूर्ण कार्यवाही एवं संज्ञान के संबंध में पारित प्रश्नगत आदेश अपास्त किए जाने योग्य है।

7– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क के समर्थन में मान्नीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **Manoj Rai Vs. State of Madhya Pradesh 1999 (1) SCC 728** में प्रतिपादित विधि व्यवस्था के प्रस्तर 2 की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट किया, जो निम्नवत् है :–

> *"2. Since the learned counsel for the State fairly states, on instructions, that no sanction was given in accordance with Section 196(1) of the Criminal Procedure Code to prosecute the appellants for the offence under Section 295-A of the Indian Penal Code, we allow this appeal and quash the impugned proceedings. Let the written instructions received by the learned counsel for the respondent-State in this regard be kept on record as desired by him."*

8– इस सम्बन्ध में आवेदक के विद्वान अधिवक्तागण ने उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की द्वय–न्यायपीठ द्वारा **Mohd. Waris @ Raza Vs. State, Jail Appeal No. 8326 of 2007 decided on 5.8.2019** के प्रस्तर 33, 34, 35, 36 एवं 37 की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट किया, जो कि निम्नवत् है :–

> *"33. A perusal of Section 196 Cr.P.C., clearly shows that it contemplates a prior sanction from Central Government or State Government before cognizance is taken of any offence punishable under Chapter-VI I.P.C. Therefore, apparently, it cannot be disputed and learned AGA has also fairly stated that as per requirement of Section 196 Cr.P.C., no cognizance could have been taken of offence punishable under Chapter-VI I.P.C. unless prior sanction from Central Government or State Government is obtained.*

34. In the present case, opportunity was granted to State to show whether such sanction was given of categorical statement has been made by learned AGA before this Court that no such sanction was granted or even sought to be obtained, hence, question of grant by competent authority does not arise. Prosecution, in fact, strangely proceeded in complete and absolute ignorance of Section 196 Cr.P.C. It is really surprising that prosecution was not aware that for offences punishable under Chapter-VI I.P.C., there was/is a statutory requirement of obtaining prior sanction of Competent Authority. No efforts at all were made to obtain the same.

35. Proceeding further now we have to examine, "whether requirement of 'prior sanction' under Section 196 Cr.P.C. is mandatory" and secondly, if no such issue was raised before Magistrate, who committed proceedings to Court of Sessions/Trial Court, whether it will stop appellants from raising issue for the first time in appeal, or flaw is so inherent it goes to the root of the matter and even in appeal, it can be taken for the first time and may vitiates Trial and conviction.

36. The object of Section 196 Cr.P.C. is to ensure prosecution after due consideration by appropriate authority so that frivolous or needless prosecution is avoided. To appreciate the nature of "sanction" contemplated under Section 196 Cr.P.C., in correct perspective, it would be appropriate to bear in mind and examine Section 465 Cr.P.C., which reads as under :-

> *465. Finding or sentence when reversible by reason of error, omission irregularity.*
>
> *(1) Subject to the provisions hereinbefore contained, no finding, sentence or order passed by a Court of competent jurisdiction shall be reversed or altered by a Court of appeal, confirmation or revision on account of any error, omission or irregularity in the complaint, summons, warrant, proclamation, order, judgment or other proceedings before or during trial or in any inquiry or other proceedings under this Code, or any error, or irregularity in any sanction for the prosecution, unless in the opinion of that Court, a failure of justice has in fact been occasioned thereby.*
>
> *(2) In determining whether any error, omission or irregularity in any proceeding under this Code, or any error, or irregularity in any sanction for the prosecution has occasioned a failure of justice, the Court shall have regard to the fact whether the objection could and should have been raised at an earlier stage in the proceedings.*
>
> *(Emphasis added)*

37. A perusal of Section 465 Cr.P.C. shows that it runs into two parts; (i) "on any error, omission or irregularity", and three words have been used and it is said that the same will not justify setting aside of conviction in appeal or revision etc. but with reference to "sanction" only two words "error or irregularity" have been used and the word "omission" has not been mentioned. Meaning thereby, in the cases where sanction is required, if there is an error or irregularity in the "sanction", then conviction or finding will not be reversed in appeal or revision. It contemplates that sanction is there but there is some error or irregularity in granting sanction. If there is a complete "omission" of sanction, then in our view, Section 465 Cr.P.C. will not come into picture and will not help prosecution. It, therefore, leads to irrestible inference that if there is no sanction, whatsoever, by competent authority as contemplated in Section 196 Cr.P.C., it will be a serious flaw and an illegality and would vitiate the entire proceedings."

9— आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय का ध्यान **Swaraj Thackeray Vs. State of Jharkhand & Ors. 2008 CRI. L. J. 3780 & Sarfaraz Sheikh Vs. The State of Madhya Pradesh** में प्रतिपादित विधि व्यवस्थाओं की ओर भी न्यायालय का ध्यान आकृष्ट किया, जिनमें अवर न्यायालय के समक्ष लम्बित वाद की कार्यवाही को अपास्त करते हुए, प्रकरण को 196 दं0प्र0सं0 का अनुपालन करने के पश्चात गुण—दोष पर प्रसंज्ञान का आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित करने का निर्देश दिया गया है।

Swaraj Thackeray Vs. State of Jharkhand & Ors. 2008 CRI. L. J. 3780 में पारित निर्णय का प्रस्तर 14 एवं 15 निम्नवत है :—

"*14. Regarding the points raised by the petitioner that prior sanction under Section 196, CrPC was must before taking cognizance of the offences under Sections 153-A and 153-B IPC, I find that from a bare perusal of Section 196(1)(a) and (1-A)(a), quoted herein above, it is absolutely clear that there is complete bar for taking cognizance of the offences punishable under Sections 153-A, 153-B, Section 295-A or Sub-sections (1), (2) and (3) of Section 505,IPC.*

In the present case, the cognizance of the offences under Sections 153-A, 153-B and 504 IPC has been taken by the learned Magistrate. There is no dispute of the fact that prior to taking cognizance of the offences alleged under Sections 153-A and 153-B IPC, no sanction either of the Central Government or of the State Government was taken. The decision cited by the counsel for the petitioner in the case of Shailbhadra Shah and Ors. v. Swami Krishna Bharati and Anr. of Gujarat High Court reported in 1981 Cr LJ 113, supports his contention that prior sanction either of the State Government or of the Central Government is necessary before taking cognizance of the offences under Sections 153-A and 153-B of the Indian Penal Code. Therefore, in such a situation, it is held that the learned Magistrate had no jurisdiction to take cognizance of the offences under Sections 153-A and 153-

B of the Indian Penal Code against the petitioner in absence of any sanction as envisaged under Section 196(1)(a)(1-A)(a) CrPC. Consequently, that part of the impugned order taking cognizance for the aforesaid two offences, i.e., under Sections 153-A and 153-B, IPC only by the learned Magistrate cannot be sustained and, as such, is hereby quashed.

15. So far as for taking cognizance of the offence under Section 504 IPC, taken by the learned Magistrate, there is no such legal bar for taking cognizance of the aforesaid Section 504 IPC, and I find that the learned Magistrate after full application of mind and on consideration of the materials on record has taken cognizance of the offences under Section 504 IPC also and, therefore, the same does not require any interference by this Court."

Sarfaraz Sheikh Vs. The State of Madhya Pradesh में पारित निर्णय का अन्तिम प्रस्तर निम्नवत है :–

"The offence under sections 153-A and 153-B IPC are of the nature of promoting enmity between different groups on the ground of religion, race, place of birth, residence, language, caste or community or any other ground whatsoever, disharmony or feelings of enmity etc; or any act which is imputation, assertions THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH MCRC. No.174/2017 (Sarfaraz Sheikh vs. The State of M.P.) prejudicial to national-integration in place of public worship the maintenance of harmony between different religious, racial, language or regional groups or castes or communities and as such are offence against the public at large and State. The inclusion of offence under sections 147and 149 of IPC, in the charge-sheet, in fact, are in conjunction with such offence under section 153 A and 153 B IPC are inseparable. Consequently, for want of sanction for offence under sections 153 A and 153 B of IPC as on the date of cognizance on 05.03.2016, the prosecution continued pursuant to the impugned order cannot be sustained. It is accordingly quashed. However, based on subsequent sanction on 16.08.2016, the respondent/State is always at liberty to take recourse to law for filing supplementary charge-sheet."

10– विद्वान अपर महाधिवक्ता श्री मनीष गोयल एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री पातंजलि मिश्र ने आवेदक के विद्वान अधिवक्तागण के तर्को का खण्डन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक एक सरकारी डाक्टर हैं इसलिए धारा 197 दं0प्र0सं0 के प्राविधान भी लागू होते हैं, तथा धारा 482 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत करके अभियोजन अनुमति के आधार पर सम्पूर्ण कार्यवाही के निरस्तीकरण की याचना पोषणीय नहीं है। आवेदक द्वारा संज्ञान के स्तर पर या आरोप विरचित होने के अवसर पर अभियोजन अनुमति न होने के आधार पर उन्मोचन याचना का पूर्ण अधिकार है। उनका यह भी कथन है कि धारा 196 एवं 197 दं0प्र0सं0 के प्राविधान कोर्ट द्वारा प्रसंज्ञान लेने के सन्दर्भ में लगभग समान हैं, ऐसे में विधायिका की मंशा के अनुरूप प्राविधान 197 भी लागू होंगे तथा आवेदक के प्रकरण में धारा 196, 197 दं0प्र0सं0 के

प्राविधानों को संयुक्त रूप से पढ़ने की आवश्यकता है तथा संज्ञान लेने के बाद अभियोजन अनुमति प्राप्त होने से सम्पूर्ण कार्यवाही दूषित नहीं हो जाएगी तथा इस प्रकरण में दि0 27–5–2021 को अनुमति लेने के पश्चात उसे अवर न्यायालय में दि0 3–8–2021 को दाखिल कर दिया गया है। उनका यह भी कथन है कि धारा 460 (C) में उल्लिखित प्राविधान किसी अपराध का संज्ञान अगर धारा 190 (1) मे क्लाज (A) या (B) के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा ले लिया गया है तो वह सिर्फ इररेगुलर होगी और प्रोसीडिंग को दूषित नहीं करेगी। प्रस्तुत प्रकरण में पुलिस रिपोर्ट में धारा 190 (1) B में मजिस्ट्रेट द्वारा दि0 28–7–2020 को प्रसंज्ञान लिया गया है, ऐसी स्थिति में संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किया गया संज्ञान का आदेश बिल्कुल सही है तथा उसमें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपने तर्क के समर्थन में मान्नीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **Bakhshish Singh Brar Vs. Gurmej Kumar and another (1987) 4 Supreme Court Cases 663** में प्रतिपादित विधि व्यवस्था के प्रस्तर 4 की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट किया, जो निम्नवत् है :–

> *"4. There are rival versions involved in this case. The question was whether without the sanction under section 197 of the Code of Criminal Procedure the proceedings could go on. It is quite apparent that as a result of the alleged search and raid, which was conducted by the petitioner in discharge of his official duties certain injuries, which are described as grievous, injuries had been inflicted on the complainant and one of the alleged offenders had died. In this case, admittedly, the petitioner is a Government servant. Admittedly, there was no sanction under section 197 of the Cr. P.C. had been taken. The trial in this case is one of the offences mentioned under section 196 of the Cr. P.C. The contention of the petitioner was that under section 196 of the Cr. P.C. the cognizance of the offence could not be taken nor the trial proceeded without the sanction of the appropriate authorities. The learned Additional Sessions Judge, Kapurthala after consideration of the facts and circumstances of the case in view of the observations of this Court in Pukhraj v. State of Rajasthan and another, [1974] 1 S.C.R. S59 that unless cognizance is taken and the facts and in the circumstances and the nature of the allegations involved in this case are gone into the question whether the raiding party exceeded its limits or power while acting in the official duties cannot be determined. The learned Judge observed after gathering the materials and some evidence, it would be possible to determine whether the petitioner while acting in the discharge of his duties as a police officer had exceeded the limit of his official capacity in inflicting grievous injuries on the accused and causing death to the other accused."*

मेरे विचार से उक्त निर्णय में धारा 196 दं0प्र0सं0 एवं धारा 197 दं0प्र0सं0 को एक साथ विचारित किया गया है तथा वर्तमान मामले में सिर्फ धारा 196 दं0प्र0सं0 विचारित किया जा रहा है, इसलिए उक्त निर्णय में उल्लिखित तथ्य, वर्तमान प्रकरण से भिन्न हैं।

11– विद्वान अपर महाधिवक्ता ने अपने तर्क के समर्थन में मान्नीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **CBI Vs. B.A.Srinivasan (2020) 2 Supreme Court Cases 153** में प्रतिपादित विधि व्यवस्था की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट किया। किन्तु यह निर्णय धारा 197 दं0प्र0सं0 के

संबंध में पारित किया गया है, जबकि वर्तमान मामले में सिर्फ धारा 196 दं0प्र0सं0 विचारित किया जा रहा है, इसलिए उक्त निर्णय में उल्लिखित तथ्य, वर्तमान प्रकरण में लागू नहीं होंगे।

12— विद्वान अपर महाधिवक्ता ने अपने तर्क के समर्थन में मान्नीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **Dharmesh @ Nanu Nitinbhai Shah Vs. State of Gujarat (2022) 45 ACC 519** में प्रतिपादित विधि व्यवस्था की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट किया। किन्तु उक्त निर्णय के तथ्य वर्तमान प्रकरण के तथ्यों से भिन्न हैं।

13— विद्वान अपर महाधिवक्ता ने अपने तर्क के समर्थन में मान्नीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **Devinder Singh and others Vs. State of Punjab Through CBI (2016) 12 SCC 87** में प्रतिपादित विधि व्यवस्था के प्रस्तर 39.8 की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट किया, जो निम्नवत् है :—

> *"39.8. Question of sanction may arise at any stage of proceedings. On a police or judicial inquiry or in course of evidence during trial. Whether sanction is necessary or not may have to be determined from stage to stage and material brought on record depending upon facts of each case. Question of sanction can be considered at any stage of the proceedings. Necessity for sanction may reveal itself in the course of the progress of the case and it would be open to accused to place material during the course of trial for showing what his duty was. Accused has the right to lead evidence in support of his case on merits."*

किन्तु उक्त निर्णय के तथ्य वर्तमान प्रकरण के तथ्यों से भिन्न हैं, इसलिए उक्त निर्णय का कोई लाभ उन्हें नहीं मिल सकता है।

14— मैंने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं उनके द्वारा, माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों एवं विधि व्यवस्थाओं का अवलोकन किया।

15— इस प्रकरण के निस्तारण हेतु धारा 196 को अवतरित किया जाना आवश्यक है, जो निम्नवत है :—

"196. Prosecution for offences against the State and for criminal conspiracy to commit such offence.

> *(1) No Court shall take cognizance of-*
>
> *(a) any offence punishable under Chapter VI or under section 153A, (Section 295 A or sub section (1) of section 505] of the Indian Penal Code (45 of 1860) or*
>
> *(b) a criminal conspiracy to commit such offence, or*
>
> *(c) any such abetment, as is described in section 108A of the Indian Penal Code (45 of 1860), except with the*

previous sanction of the Central Government or of the State Government.

(1A) No Court shall take cognizance of-

(a) any offence punishable under section 153B or sub-section (2) or sub- section (3) of section 505 of the Indian Penal Code (45 of 1860), or

(b) a criminal conspiracy to commit such offence, except with the previous sanction of the Central Government or of the State Government or of the District Magistrate.]

(2) No Court shall take cognizance of the offence of any criminal conspiracy punishable under section 120B of the Indian Penal code (45 of 1860), other than a criminal conspiracy to commit [an offence] punishable with death, imprisonment for life or rigorous imprisonment for a term of two years or upwards, unless the State Government or the District Magistrate has consented in writing to the initiation of the proceedings:

Provided that where the criminal conspiracy is one to which the provisions of section 195 apply, no such consent shall be necessary.

(3) The Central Government or the State Government may, before according sanction [under sub- section (1) or sub- section (1A) and the District Magistrate may, before according sanction under sub- section (1A) and the State Government or the District Magistrate may, before giving consent under sub- section (2), order a preliminary investigation by a police officer not being below the rank of Inspector, in which case such police officer shall have the powers referred to in sub-section (3) of section 155."

16— मेरे विचार से आवेदक के विद्वान अधिवक्तागण के तकों एवं उनके द्वारा अपने तर्क के समर्थन में **Swaraj Thackeray Vs. State of Jharkhand & Ors. 2008 CRI. L. J. 3780 & Sarfaraz Sheikh Vs. The State of Madhya Pradesh** में प्रतिपादित विधि व्यवस्थाओ के प्रकाश में एवं धारा 196 दं0प्र0सं0 की उपधारा 1 (अ) के प्राविधानों के अनुसार धारा 153—अ, 153—ब, 505 (2) भा0दं0वि0 में अपराध का संज्ञान लेने के पूर्व केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा जिलाधिकारी द्वारा पूर्व अभियोजन स्वीकृति नहीं ली गयी है तथा विद्वान मजिस्ट्रेट ने प्रसंज्ञान का आदेश पारित करते समय सुसंगत प्राविधानों का समुचित अनुपालन नहीं किया।

17— तद्नुसार संबंधित अवर न्यायालय की कार्यवाही में ज्यादा विलम्ब न हो, इसलिए धारा 482 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत दायर यह आवेदन पत्र **स्वीकार** किया जाता है तथा मु0अ0सं0—700 सन् 2019, अन्तर्गत धारा 153—ए, 153—बी, 505(2), 109 भा0दं0वि0, थाना सिविल लाइन्स, जिला अलीगढ़ में प्रेषित आरोप पत्र सं0 055 सन 2020, दिनांकित 16—3—2020 से उद्भूत वाद सं0 3250 सन 2020, स्टेट वर्सेस डा0 कफील, जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ के न्यायालय में

लम्बित है तथा इसमें पारित प्रसंज्ञान आदेश दि0 28–7–2020 की संपूर्ण कार्यवाही अपास्त की जाती है तथा प्रकरण को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ के न्यायालय में इस निर्देश के साथ **प्रतिप्रेषित** किया जाता है कि धारा 196 (अ) दं0प्र0सं0 के प्राविधानों के अनुसार केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा जिलाधिकारी द्वारा पूर्व अभियोजन स्वीकृति प्राप्त होने पर ही आवेदक के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत प्रसंज्ञान का आदेश पारित किया जाय।

18– कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रतिलिपि संबंधित अवर न्यायालय को अविलम्ब भेजना सुनिश्चित किया जाय।

दि0 : 26–08–2021
के0सी0सिंह